

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1155) पटना, सोमवार, 9 दिसम्बर 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना 6 दिसम्बर 2024

सं० 6 / एन0—13—02 / 2014—1603(6)—भारत—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन उपचर्या शिक्षण संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्निति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्निलेखित नियमावली बनाते हैं :—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
 - (i) यह नियमावली "बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
- 2. परिभाषाएँ |-जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
 - (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग, बिहार;
 - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है; ट्यूटर के मामले में निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना तथा प्राचार्य के मामले में सरकार;
 - (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
 - (v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग;
 - (vi) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट; तथा
 - (vii) "मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परन्तु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्तता शर्तों (Suitability conditions) का पालन करना होगा।
- 3. संवर्ग का गठन।—बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग राज्य स्तरीय तथा शैक्षणिक संवर्ग होगा। संवर्ग में कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत की जाय। इस संवर्ग में महिला एवं पुरूष कर्मियों का अनुपात उतना ही होगा जितना समय—समय पर भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार

द्वारा अवधारित की जाय। नियमावली के परिशिष्ट में प्रावधानित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त / प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः सम्मिलित समझे जायेंगे तथा उनकी पूर्व की आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

- 4. संवर्ग का पदसोपान।— इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पद सोपान संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होगें।
- 5. भर्ती |— इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद ट्यूटर (नर्सिंग) के पद पर सीधी भर्ती से, प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम—8(ii) में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।
- 6. अर्हताएँ। मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय—समय पर अवधारित अविध की एम०एस०सी० निर्संग अथवा बी०एस०सी० निर्संग (बेसिक / पोस्ट बेसिक) अथवा डिप्लोमा इन निर्संग एजुकेशन एण्ड एडिमिनिस्ट्रेशन कोर्स में उत्तीर्णता के साथ दो वर्षों का व्यवसायिक कार्य अनुभव तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा, परन्तु बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से उपयुक्तता (Suitability) प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।

7. उम्र सीमा। –

- (i) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जायेगी।
- (ii) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी / गैर निजी (केन्द्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज्य संस्थानों इत्यादि) निर्संग शैक्षणिक संस्थानों में संविदा के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किये गये कार्य अविध के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा, परन्तु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अविध के लिए ही देय होगा।

परन्तु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तद्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरूद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश लागू होंगे।

(iii) विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जायेगा।

8. भर्ती की प्रक्रिया।-

- (i) नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा।
- (ii) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :—
 - (क) चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित 75 अंक (प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम पर आधारित होगा)।
 - (ख) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी / गैर निजी (केन्द्र 25 अंक सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों में संविदा के आधार पर ट्यूटर के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)

परन्तु उक्त कार्यानुभव का लाभ नियम–7(ii) के अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान्य होगा।

कुल – 100 अंक (अधिकतम)

स्पष्टीकरण:— प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 x 0.75 = 37.5 अंक दिये जायेंगे।

(iii) आयोग उपर्युक्त उपनियम (ii) के आधार पर कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के अनुसार मेधासूची तैयार करेगा एवं विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जाँच करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस सत्यापन (पूर्ववृत का) एवं सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा—निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

- 9. नियुक्ति/पदस्थापन।— बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग के ट्यूटरों का नियुक्ति पदस्थापन राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र के ए०एन०एन० / जी०एन०एम० नर्सिंग संस्थानों में किया जायेगा। एक वर्ष का शैक्षणिक अनुभव पूर्ण करने वाले ट्यूटरों को आवश्यकतानुसार बी०एस०सी० नर्सिंग महाविद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकेगा।
- 10. परिवीक्षा अविध आयोग के अनुशंसा से ट्यूटर (नर्सिंग) के पद पर सीधी नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अविध एक वर्ष की होगी। परिवीक्षा अविध में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अविध का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अविध में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे ट्यूटर (नर्सिंग) को सेवामुक्त कर सकेगा।
- 11. सम्पुष्टि । परिवीक्षा अविध संतोषजनक पूर्ण करने, निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण होने एवं समय—समय पर विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तों को पूर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ट्यूटर (नर्सिंग) की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के संबंध में अलग से दिशा—निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- 12. वरीयता |— ट्यूटर (नर्सिंग) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

13. प्रोन्नति के पद—सोपान।—

- (i) सेवा में सम्पुष्ट ट्यूटर (नर्सिंग) को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए उच्चतर पद पर प्रोन्नित हेतु भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता एवं अनुभव / सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट में प्रावधानित उच्चतर पद पर प्रोन्नित दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- (ii) प्रोन्नित पर विचार करते समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नित एवं कालाविध संबंधी समय—समय पर निर्गत अनुदेशों तथा चारित्री या पी०ए०आर० संबंधी मुहरबन्द लिफाफा पद्धित आदि के संबंध में निर्गत अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।-

- (i) प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।
- (ii) विभागीय प्रोन्नित समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।
- 15. ट्यूटर (नर्सिंग) का स्थानांतरण।— ट्यूटर (नर्सिंग) का स्थानांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रचलित नियमों / विनियमों / दिशा—निर्देशों के अधीन होगा।
- 16. आरक्षण |-सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नित हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 17. शक्तियों का प्रत्यायोजनं ।—नियुक्ति प्राधिकार कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी कुछ शक्तियों को संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 18. अवशिष्ट मामलें।—इस नियमावली में जिन विषयों के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, उस मामले में सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
- 19. शंकाओं का निराकरण।—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- 20. कितनाई का निराकरण।—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो, विभाग ऐसी कितनाई का निराकरण विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् ऐसे आदेश द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति 📙

- (i) बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 एतद् द्वारा इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से निरसित की जाती है।
- (ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

परिशिष्ट

[नियम 2(vi), 4, 12, 13 द्रश्टव्य] बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग का पदसोपान

<u> </u>				
	क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती प्रक्रिया	प्रास्थिति
	1	2	3	4
	1.	ट्यूटर (नर्सिंग)	सीधी भर्त्ती	शैक्षणिक (अराजपत्रित)
	2.	प्राचार्य	प्रोन्नति द्वारा	शैक्षणिक (राजपत्रित)

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड, ग्रेड-पे एवं पे-लेवल वहीं होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

The 6th December 2024

No-6-N-13-02/2014-1603(6).—In exercise of powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate selection, appointment, promotion and service conditions of the Nursing Teaching Cadre under the Health Department:-

- 1. Short title, extent and commencement.—
 - (i) These Rules may be called the "Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2024".
 - (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (iii) It shall come into force form the date of its publication in the official gazette.
- 2. **Definitions**.-In these Rules, unless otherwise required in the subject or context-
 - (i) "Government" means Bihar State Government;
 - (ii) "Department" means Health Department;
 - (iii) "Appointing Authority" means Director-in-Chief (Nursing), Health Services, Bihar, Patna in the case of Tutor and the Government in the case of Principal.
 - (iv) "Commission" means Bihar Technical Service Commission;
 - (v) "Cadre" means Bihar Nursing Teaching Cadre;
 - (vi) "Appendix" means appendix appended to these Rules; and
 - (vii) "Recognized Institutions" means the institution recognized by the State Government of Bihar or its authorised body but in the case of institutions located outside of the State of Bihar, must comply with Suitability conditions as per Indian Nursing Council, New Delhi.
- 3. Constitution of cadre.—The cadre of Bihar Nursing Teaching shall be at the State level and academic cadre. In this cadre total number of posts in the cadre shall be such as may be sanctioned by the government from time to time. The ratio of women and men employee in this cadre will be as much as determined by the Indian Nursing Council, New Delhi and the State Government from time to time. Employees appointed/promoted and working on the post of the cadre provided of appendix of these rules, before the enforcement of these rules, will be considered automatically included in this cadre and their previous mutual seniority will remain intact.
- **4.** *Chain of posts of cadre.* Different categories and chain of posts of this cadre shall be according to the appendix.
- **5. Recruitment.** The appointment in this cadre shall be made by direct recruitment to the basic category posts of Tutor (Nursing) through competitive examination

and on the basis of recommendation of the Commission through the procedure laid down in the rules 8(ii).

6. Qualification.— (1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in M.Sc Nursing or B.Sc. Nursing (Basic/Post Basic) or Diploma in Nursing Education and Administration course of the duration determined by Indian Nursing Council from time to time from a recognized institute along with two years of professional work experience and related certificate, but in case of institutes located outside of the State of Bihar suitability as per norms of Indian Nursing Council, New Delhi shall be mandatory. A valid of registration of candidates from Bihar Nursing Registration Council shall also be necessary.

7. Age Limit.—

- (i) The minimum age limit for direct recruitment will be 21 years and the maximum age limit will be the same as decided by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time in respect of different categories including reservation categories.
- (ii) Any applicant who has rendered service on contract in any Government/Non-Private (Central Government, Panchayat, Municipal Corporation etc.) under health facilities/hospitals situated in the State of Bihar shall be given relaxation in maximum age limit equal to the period of work done earlier on the same post. Such relaxation will be admissible even in respect of service rendered for part of a particular year, however benefit will accrue only for the period of actual service done on contract.

Provided that appointment on contract should have been done on the basis of selection and following the policy of reservation in the State of Bihar at the time of contract appointment and appointment should have been done by competent authority against duly sanctioned post. In such cases instructions issued by General Administrative Department from time to time shall be followed.

(iii) 1st August of the concerned year shall be cut-off-date for determination of age.

8. Procedure of recruitment.—

- (i) The appointing authority, after calculating the vacancy as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send category wise requisition to the Commission as far as practicable by 30th April of the same year.
- (ii) In view of the requisition, the Commission shall invite application by advertising the vacancies and shall prepare a merit list on the following basis:-
 - (a) Prescribed for the competitive examination held for 75 marks selection (The question paper of the competitive examination B.Sc Nursing as prescribed by the Indian Nursing Council will be based on the syllabus).
 - All government-private (Central Government, 25 marks (b) Panchayat, Municipal Corporation etc.) nursing educational institutions located within the state of Bihar. 5 marks per year, maximum 25 marks for satisfactory work experience as a tutor on contractural basis in institutions (for part of a year, proportional marks obtained by multiplying the number of working days by 05 and then dividing by 365 will be added.)

But the benefit of the said work experience will be admissible only on employment on contract as per rule-7(ii)

> Total -100 marks (Maximum)

Explanation: Allowance shall be given to any candidate for the marks obtained in the competitive examination. The marks to be awarded will be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the competitive examination by a factor of 0.75. For example, if a candidate has secured 50 percent marks, then he will be awarded 50x0.75 = 37.5 marks.

- (iii) The Commission will prepare the merit list as per the category wise requisitioned vacancies on the basis of the above mentioned sub-rule (ii) and will send its recommendation to the department. The department will thoroughly check the certificates of the recommended candidates. Thereafter, the concerned appointment authority will get the candidates health test, police verification (of antecedents) and will make the appointment by following the appointment related quidelines issued by the government (General Administration Department) from time to time.
- 9. Appointment/Posting.— The appointment and posting of tutors of Bihar Nursing Teaching Cadre will be done in ANM/GNM Nursing Institutes of the Government Sector of the State. Tutors who have completed one year of teaching experience can also be posted in B.Sc Nursing Colleges as per the requirement.
- 10. Probation period.— After direct appointment to the post of Tutor (Nursing) on the recommendation of the commission, the probation period will be of one year, If the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period can be extended for the next one year. If the service is not found satisfactory even in the extended period, the appointing authority can discharge such Tutor (Nursing) from service.
- 11. Confirmation.— The service of the Tutor (Nursing) may be confirmed by the appointing authority on satisfactory completion of the probation period, completion of prescribed induction training, passing all papers of prescribed departmental examination and fulfilling other service conditions prescribed by the department, from time to time. Separate guidelines will be issued regarding training and departmental examination.
- 12. Seniority.— The seniority of Tutor (Nursing) will be determined according to the merit list prescribed by the commission.

13. Chain of Posts of Promotion.—

- A Tutor (Nursing) confirmed in service may be considered for promotion to higher post as provided in the Appendix of these Rules on the basis of seniority-cum-merit on completion of qualification and experience/ service period prescribed by the Indian Nursing Council, subject to availability of vacancy.
- While considering promotion, it will be mandatory to follow the instructions issued by the General Administration Department from time to time regarding promotion and tenure and instructions issued regarding in sealed envelope system etc. regarding character or PAR.

14. Departmental Promotion Committee.

Promotions will be considered on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee.

- (ii) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by a separate order.
- **15.** Transfer of Tutor (Nursing).—The transfer of Tutor (Nursing) shall be governed by the extant Rules/Regulation/Directions of the Department of Cabinet Secretariat, Government of Bihar.
- **16.** *Reservation.*—It shall be mandatory to comply with the provisions of the Reservation Act of the Government and the reservation roster issued by the Government from time to time for direct recruitment and promotion.
- 17. *Delegation of power*.—Keeping in view the ease of work, the Appointing Authority made delegate same of its powers to the Civil Surgeon-com-Chief Medical Officer (Civil Surgeon) of the concerned district/Superintendent concerned Medical College Hospital/Director concerned Superspeciality Hospital.
- **18.** *Residuary Matter.*—In the matters for which provisions have not made in this rules, the provisions of the relevant Code/Rules/Resolution/Instruction of the Government shall apply.
- 19. Removal of doubt.—If any doubt arises with respect to interpretation of any provisions of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect the decision of the Department after consultation with the Law Department shall be final.
- **20.** Removal of difficulties.—If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the department may remove such difficulty after consultation with the Law Department by such order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

21. Repeal and Savings.—

- (i) The Bihar Nursing Cadre Rules, 2019 are hereby repealed with effect from the date of coming into force of these rules.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid rules shall be deemed to have been done or taken by these rules as if these rules were in force on the date on which such thing was done or such action was taken.

Appendix [See rule 2(VI), 4, 12, 13] Chain of posts of Bihar Nursing Teaching Cadre

Sl. No.DesignationRecrutment ProcessStatus12341.Tutor (Nursing)Direct RecrutmentAcademic (Non-gazetted)2.PrincipalBy PromotionAcademic (Gazetted)

Note:- The Pay Band, Grade Pay and Pay Level of all the aforesaid categories shall be the same as may be determined by the Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar, SANJAY KUMAR SINGH, Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1155-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in